1

प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका

देश में महानगरीय शहरों का अभूतपूर्व विकास एक ओर सरकार के लिए तो दूसरी ओर मेट्रो-शहर के निगमित उपक्रमों, योजनाकारों, जनसंख्याविदों और समाजशास्त्रियों के लिए गहन चिंता का विषय बन गया है । । भारत की जनगणना 2001 से पता चला है कि पिछले तीन दशकों में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या जो 1981 में केवल 12 थी, 1991 में 23 और 2001 में बढ़कर 35 तक लगभग तीन गुना हो गई हैं । उल्लेखनीय है कि इन मेट्रो शहरों में 5,000 से अधिक नगरों में बसने वाली देश की कुल शहरी जनसंख्या की एक तिहाई (37.81%) से अधिक आबादी रहती है । अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन 35 महानगरीय (अथवा दस लाख से अधिक आबादी वाले) शहरों में आर्थिक विकास के प्रवाह और दिशा को (जिसके कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है) संतुलित और स्थानमूलक पथ की ओर अग्रसर करने के लिए अनवरत, देशव्यापी प्रयास किए जाने पर बल देना चाहिए ताकि शहरी आबादी में इस अनियंत्रित वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके तथा उस पर रोक लगाई जा सके । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) योजना बोर्ड मूल रूप से राष्ट्रीय राजधानी शहर के संबंध में इसी कार्य को करने का प्रयास कर रहा है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वृहत पृष्ठ क्षेत्र जिसका अधिकांश भाग दिल्ली महानगर क्षेत्र (डी.एम.ए.) [अब केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (के.रा.रा.क्षे.)] के बाहर है उसमें आर्थिक विकास की दर अब भी बहुत धीमी है जबकि एन.सी.टी.-दिल्ली के मुख्य उप-क्षेत्र में असाधारण रूप से तीव्र भौतिक और आर्थिक विकास हो रहा है । चार बड़े शहरों (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और एन.सी.टी.-दिल्ली) तथा चार अन्य महानगरीय शहरों (पुणे, बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद) में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि रोजगार सृजन में दिल्ली प्रथम स्थान पर है । भारत के इन आठ सर्वाधिक बड़े शहरों में सृजित कुल रोजगारों में से एक चौथाई रोजगार-प्राप्त व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं । अतः आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक ओर तो राष्ट्रीय राजधानी के अनियंत्रित विकास और दूसरी ओर तेजी से बिगड़ती हुई पर्यावरणीय स्थिति के लिए जिम्मेवार है । दिल्ली के आर्थिक विकास का लाभ अन्य क्षेत्रीय शहरी केन्द्रों तक, विशेषकर जो डी.एम.ए. (के.रा.रा.क्षे.) के बाहर स्थित हैं, तक नहीं पहुँच सका। यह कस्बे अब तक अपेक्षाकृत अविकसित हैं तथा इनका परिवेश निम्नस्तरीय है । दिल्ली के बाहर स्थित नगरों, विशेष रूप से के.रा.रा.क्षे. के बाहर हैं, का उचित विकास न होने की समस्या किसी प्रकार की कमी न होकर परस्पर आपसी संबंधों की समस्या है । उदाहरणतः दिल्ली से इस क्षेत्र के सबसे दूरवर्ती इलाके तक पहुँचने में इतना कम समय लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी छोरों में कहीं भी परिवहन और व्यापार संबंधी बड़े केन्द्र विकसित नहीं हुए हैं । अतः के.रा.रा.क्षे. के बाहर के संपूर्ण क्षेत्र में अब भी विकास दर अपेक्षाकृत धीमी है जिससे कि क्षेत्र का एकतरफा विकास हो रहा है जो `महानगरीय-उपग्रह` प्रवृत्ति, जिसके तहत परधीय क्षेत्रों के आर्थिक अधिशेष के कुछ भाग का उपयोग कोर क्षेत्र द्वारा किसी भी प्रकार का प्रति लाभ दिए बिना कर लिया जाता है तथा परधीय क्षेत्रों में जो भी विकास होता है वह कोर क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं का सूचक होता है ।

1.2 पृष्ठभूमि

1.2.1 एन.सी.टी.-दिल्ली की अभूतपूर्व वृद्धि

एन.सी.टी.-दिल्ली, जहां 1941-1951 के दशक में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई जिसका कारण देश के विभाजन के बाद दिल्ली में लाखों शरणार्थियों के प्रवेश से आबादी का दुगुना हो जाना था, पिछले दशक (1991-2001)

1

INTRODUCTION

1.1 PREAMBLE

The unprecedented growth of metropolitan cities in the country has become a source of serious concern to Government, on the one hand, and metro-city corporators, planners, demographers and social scientists, on the other. The Census 2001 reveals that the number of million-plus cities has almost tripled over the last three decades, jumping from a mere 12 in 1981 to 23 in 1991 and 35 in 2001. Interestingly, the aggregate population of these metro cities accounts for more than a third (37.81%) of the country's total urban population, which is spread over more than 5,000 towns. It, therefore, goes without saying that these 35 metro (or million-plus) cities should be the focus of a sustained, country-wide effort to regulate and contain runaway urban growth by channelising the flow and direction of economic growth (on which the urban phenomenon feeds) along more balanced and spatially-oriented paths. This is essentially what the National Capital Region (NCR) Planning Board is attempting to do with respect to the National Capital City.

The vast hinterland of the NCR, which lies mostly outside the Delhi Metropolitan Area (DMA) [now Central National Capital Region (CNCR)], continues to experience a very slow rate of economic development even while the core Sub-region of NCT-Delhi is witnessing a phenomenal surge of physical and economic growth. A recent survey of the four mega-cities (Mumbai, Kolkata, Chennai and NCT-Delhi) and four other metropolitan cities (Pune, Banglore, Hyderabad and Ahmedabad) has revealed that Delhi tops in job generation. Delhi accounts for one fourth of the total jobs created in these eight largest cities of India. Not surprisingly, this has led to the runaway growth of the national Capital on the one hand and rapidly deteriorating physical environment on the other. The economic potential of Delhi has hardly flown down to the other regional urban centres specially those located beyond the DMA (now CNCR). These towns continue to remain comparatively undeveloped with poor living environment. Under-development of the areas outside Delhi, or to be more specific outside CNCR, is primarily a problem of relationship rather than a problem of scarcity. To give an example, the total travel time from Delhi to the farthest point in the region is so short that no big centres of transportation and trading activity have developed in the outer area of the NCR. Thus, the entire region outside CNCR is still registering a relatively slow growth rate leading to a lopsided development of the region characterised by the `Metropolis-Satellite' syndrome, where part of the economic surplus of the periphery is extracted by the core without any plough back and whatever development takes place in the periphery mostly reflects the expansion needs of the core.

1.2 BACKGROUND

1.2.1 Unprecedented Growth of NCT-Delhi

The National Capital Territory of Delhi, which had recorded an extraordinary growth during 1941-1951 practically doubling its population with lakhs of immigrants thronging to Delhi to take refuge in the

को छोड़कर, जबकि यह वृद्धि दर 47.02% है, सन् 1951 से निरन्तर औसत दशकीय वृद्धि दर 50% से अधिक दर्ज की जा रही थी । यह भारत के चार सर्वाधिक बड़े महा शहरों में सबसे अधिक है । इस प्रवृत्ति के कारण दिल्ली की आबादी वर्ष 2001 में 138 लाख हो गई ।

1.2.2 अंतरिम सामान्य योजना, 1956

विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि और शहरी क्षेत्रों के अनियमित विकास से चिंतित, भारत सरकार को दिल्ली का योजनाबद्ध विकास करने की आवश्यकता महसूस हुई । इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम नगर नियोजन संगठन (टी.पी.ओ.) द्वारा किया गया था, जिसने 1956 में ग्रेटर दिल्ली के लिए एक अंतरिम सामान्य योजना (आई.जी.पी.) तैयार की थी । इस योजना में दिल्ली का विकास इसके क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में रखते हुए करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था । योजना में सुझाव दिया गया था कि `*नियोजित रूप से बाहर के क्षेत्रों में, यहां तक कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से भी विकेन्द्रीकरण करने के बारे में गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए*`।

1.2.3 दिल्ली के लिए महा योजना, 1962

परिप्रेक्ष्य वर्ष 1981 के दिल्ली के लिए महा योजना (एम.पी.डी.-1962) में भी दिल्ली को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी । इसमें दिल्ली महानगर क्षेत्र को परिभाषित करते हुए 800 वर्ग मील क्षेत्र की पहचान की गई थी जिसमें दिल्ली संघ शासित क्षेत्र और 6 आस-पास के कस्बे शामिल थे यथा, उत्तर प्रदेश में लोनी और गाजियाबाद, पंजाब (अब हरियाणा) में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और गुड़गांव और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में नरेला शामिल थे । इसका मूल उद्देश्य था `*दिल्ली जिसका विस्तार पूर्णतः अनियोजित रूप से हो रहा है, के युक्तिसंगत विकास के लिए इस पूरे क्षेत्र को मिश्रित इकाई के रूप में नियोजित करना और विकास का एकीकृत और संतुलित समग्र कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। आस-पास के नगरों (रिंग टाउनस) को विकसित करने का आशय न केवल आंशिक आबादी को इनमें बसाना है, जो अन्यथा दिल्ली में बस कर दिल्ली के नियोजित विकास को अवरूद्ध करेगी, वरन इन कस्बों को भी योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने में सहायता देना है*` ताकि दिल्ली से विस्थापित चार लाख की आबादी उनमें बस सके और शहरी दिल्ली की आबादी 46 लाख और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की आबादी लगभग 50 लाख की प्रबंधक संख्या संभालने योग तक सीमित की जा सके । इन कस्बों में औद्योगिक विकास की योजना बनाकर और सरकारी कार्यालयों को स्थापित करके इन कस्बों के आर्थिक आधार की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव था । इस प्रयोजनार्थ योजना के अंतर्गत संभावित रूप से 1.14 लाख औद्योगिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों तथा सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 0.50 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित 4,660 एकड़ भूमि की आवश्यकता की गणना की गई थी ।

इस योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को परिभाषित करते हुए `*दिल्ली संघ शासित क्षेत्र तथा 8 निकटस्थ तहसीलों और तीन अतिरिक्त तहसीलों मेरठ, हापुड़ एवं बुलंदशहर को भी शामिल किया गया था*`। योजना में एक सांविधिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड गठित करने और क्षेत्रीय योजना के अनुरूप क्षेत्र का विकास करने की भी सिफारिश की गई थी ।

1.2.4 हाई पावर बोर्ड का गठन

दिल्ली के लिए महा योजना प्रकाशित किए जाने के बाद उसकी सिफारिशों पर ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर बोर्ड गठित किया था जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के प्रतिनिधि और दिल्ली के आयुक्त व महापौर सदस्य थे ।

तत्पश्चात् केन्द्रीय निर्माण कार्य एवं आवास मंत्री (अब शहरी विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में बोर्ड पुनर्गठित किया गया था ।

संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बोर्ड द्वारा तैयार की जानेवाली एक व्यापक क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के समन्वय का कार्य इस हाई पावर बोर्ड को सौंपा गया था । किंतु बोर्ड की बैठक बहुत लंबे समय तक नहीं की जा सकी । इसकी पहली बैठक 1965 में और फिर 1967 में हुई, जहां पर बोर्ड ने योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में एक योजना सलाहकार समिति गठित की थी जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि तथा केन्द्र एवं संबंधित राज्यों के नगर नियोजक सदस्य थे । इस समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

aftermath of the partition of the country, continued to experience average decadal growth rate of above 50% since 1951 except in the last decade (1991-2001) when it was 47.02%. This is higher than that experienced by any of the four largest mega cities in India. The continuance of this trend made Delhi to reach the population level of 138 lakhs in 2001.

1.2.2 Interim General Plan for Greater Delhi, 1956

In view of the unprecedented growth of population and haphazard development of urban areas following the Partition and independence, the Government of India felt a need for planned development of Delhi. The first such exercise was done by the Town Planning Organisation (TPO), which prepared an Interim General Plan (IGP) in 1956 for Greater Delhi. The Plan stressed the necessity of planning Delhi in a regional context. The Plan suggested that '*serious consideration should be given for a planned decentralisation to outer areas and even outside the Delhi region'*.

1.2.3 Master Plan for Delhi, 1962

The Master Plan for Delhi (MPD-1962) for the perspective year of 1981 also recognised the need of planning of Delhi in the regional context. It defined Delhi Metropolitan Area of 800 square miles comprising the Union Territory of Delhi and the six Ring Towns viz., Loni & Ghaziabad in U.P., Faridabad, Ballabhgarh, Bahadurgarh & Gurgaon in Punjab (now Haryana) and Narela in the Union Territory of Delhi. The underlying idea was '*to achieve a rational growth of Delhi which has been expanding in a most haphazard way, it is necessary to plan this whole area as a composite unit and have an integrated and balanced overall programme of development. The Ring Towns must be developed not only to deflect some of the population that would otherwise come into Delhi and jeopardize the planned growth of Delhi but also to help these towns to grow in a planned way'* to accommodate four lakhs population deflected from Delhi in order to keep the population of urban Delhi to a manageable limit of 46 lakhs and about 50 lakhs for the Union Territory of Delhi. It was proposed to ensure the strengthening of the economic base of these towns by planning industrial development and locating government offices in these towns. The total requirement of land for this purpose was estimated at 4,660 acres for projected industrial employment of 1.14 lakhs and 0.50 lakh employment in government offices.

The Plan also defined the National Capital Region '*comprising the Union Territory of Delhi and the 8 adjoining Tehsils and 3 additional Tehsils of Meerut, Hapur and Bulandshahr'*. The Plan also recommended the setting up of a Statutory National Capital Planning Board and development of the region in accordance with a Regional Plan.

1.2.4 Constitution of High Power Board

Taking cognizance of the recommendation following the publication of the Master Plan for Delhi, the Government of India set up a High Power Board under the chairmanship of the Union Home Minister, with the Chief Ministers of Punjab and Uttar Pradesh, representative of the Planning Commission, the Commissioner and the Mayor of Delhi as its members.

Subsequently, the Board was reconstituted under the chairmanship of the Union Minister of Works and Housing (now Ministry of Urban Development).

This High Power Board was entrusted with the task of coordinating the development of urban and rural areas in the NCR within the framework of a comprehensive Regional Plan to be formulated by the Board in collaboration with the concerned State Governments. But the Board could not meet for a long time. It met for the first time in 1965 and then in 1967, the Board set up a Planning Advisory Committee with representatives of the Planning Commission and the Town Planners of the Central and respective State Governments under the chairmanship of Advisor, Planning Commission. The Committee delineated the

की रूपरेखा तैयार की थी जिसके आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियोजन पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और एक विस्तृत क्षेत्रीय योजना तैयार करने का कार्य नगर और ग्राम नियोजन संगठन (न.ग्रा.नि.सं.) को सौंपा गया था ।

1.2.5 रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय योजना-1981

केन्द्रीय निर्माण कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर बोर्ड द्वारा अनुमोदित और न.ग्रा.नि.सं. द्वारा 1973 में तैयार रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय योजना, 1981 में दिल्ली के विकास को नियमित करने और आर्थिक गतिविधियों को विकेन्द्रीकरण जिसमें सरकारी कार्यालयों, लोक उपक्रमों, थोक व्यापार और उद्योगों का प्रतिस्थापन किया जाना शामिल था, की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया था ।

1.2.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985

बारंबार यह आवश्यकता महसूस की जाती रही थी कि एक उपयुक्त विधान के तहत दिल्ली का क्षेत्रीय संदर्भ में नियोजन किया जाए जिसके मार्फत क्षेत्राधीन इलाकों के विकास को नियंत्रित तथा विनियमित किया जाए और अंततः संसद ने वर्ष 1985 में घटक राज्यों की सहमति के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य था *`राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने हेतु और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित और निगरानी करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि-उपयोग नियंत्रित करने एवं यहां के अवसंरचनात्मक विकास के लिए परस्पर समन्वित नीतियां तैयार करने ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास पर रोक लगाई जा सके और इससे संबंधित अथवा अनुषंगिक मामलों के निपटान के लिए एक योजना बोर्ड के गठन का प्रावधान करना`* (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की संरचना अनुलग्नक 1/I का संदर्भ लें) ।

1.2.7 रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अध्याय IV के धारा 10 में क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

10(1) क्षेत्रीय योजना एक लिखित दस्तावेज होगा और उसके साथ क्षेत्रीय योजना में निहित प्रस्तावों को स्पष्ट करने अथवा उनका निदर्शन करने के लिए जो भी नक्शे, आरेख, चित्र तथा विवरण बोर्ड के अनुसार उपयुक्त हों, वे संलग्न होंगे तथा इस प्रकार का प्रत्येक नक्शा, आरेख, चित्र तथा विवरण सामग्री क्षेत्रीय योजना का अंग माना जाएगा ।

10(2) क्षेत्रीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भूमि के उपयोग के तरीकों अर्थात् उसे कैसे विकसित किया जाएगा, या तो इस पर विकास होगा सीधे अथवा संरक्षित किया जाएगा अथवा उसका कुछ अन्य उपयोग होगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों संबंधी उल्लेख होंगे तथा ऐसी प्रत्येक योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संवर्धन और उसके संतुलित विकास के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे, नामतः :-

(क) भूमि-उपयोग तथा विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की आबंटन संबंधी नीति;

(ख) शहरी सेटलमैंट पैटर्न की मुख्य रूपरेखा संबंधी प्रस्ताव;

(ग) भविष्य में विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी रेलवे लाइनों तथ मुख्य सड़कों सहित परिवहन और संचार संबंधी प्रस्ताव;

(ड.) पेय जल आपूर्ति और जल-निकासी संबंधी प्रस्ताव;

(च) उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनका "प्राथमिकता क्षेत्रों" के रूप में तत्काल विकास आवश्यक है; और

National Capital Region leading to the formulation of an interim report on the planning of NCR and the task of preparing a comprehensive Regional Plan was entrusted to the Town and Country Planning Organisation (TCPO).

1.2.5 Regional Plan-1981 for NCR

The Regional Plan-1981 of NCR prepared by TCPO in 1973 and approved by the High Power Board under the chairmanship of the Union Minister of Works, Housing and Supply, reiterated the need to regulate the growth of Delhi and decentralisation of economic activities including shifting of government offices and public sector undertakings, wholesale trade and industry.

1.2.6 NCRPB Act, 1985

Time and again the need was felt to plan Delhi in the regional context under a suitable legislation which would control and regulate development in the region and finally Parliament enacted the National Capital Region Planning Board Act in 1985 with the concurrence of the constituent States "*to provide for the constitution of a Planning Board for the preparation of a plan for the development of the National Capital Region and for coordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonised policies for the control of land uses and development of infrastructure in the National Capital Region so as to avoid any haphazard development of that Region and for matters connected therewith or incidental thereto"* (refer Annexure 1/I for the composition of the NCR Planning Board).

1.2.7 Important Provisions of the NCRPB Act, 1985

Section 10 of the Chapter IV of the NCRPB Act, 1985 makes the following provisions for the preparation of the Regional Plan:

10 (1) The Regional Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations and descriptive matters as the Board may deem appropriate for the purpose of explaining or illustrating the proposals contained in the Regional Plan and every such map, diagram, illustration and descriptive matter shall be deemed to be a part of the Regional Plan.

10 (2) The Regional Plan shall indicate the manner in which the land in the National Capital Region shall be used, whether by carrying out development thereon or by conservation or otherwise, and such other matters as are likely to have any important influence on the development of the National Capital Region and every such Plan shall include the following elements needed to promote growth and balanced development of the National Capital Region, namely:-

- *(a) the policy in relation to land use and the allocation of land for different uses;*
- *(b) the proposals for major urban settlement pattern;*
- *(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;*
- *(d) the proposals regarding transport and communications including railways and arterial roads serving the National Capital Region;*
- *(e) the proposals for the supply of drinking water and for drainage;*
- *(f) indication of the areas which require immediate development as "priority areas"; and*

(छ) ऐसे अन्य मामले जिन्हें भागीदार राज्यों और संघ शासित क्षेत्र की सहमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वृद्धि के उचित नियोजन और संतुलित विकास के लिए बोर्ड द्वारा शामिल किया जाए ।

1985 के अधिनियम की धारा 15 में समीक्षा और संशोधन की पद्धति संबंधी निर्देश दिए गए हैं जो निम्नवत हैं:

15(1) तैयार की गई क्षेत्रीय योजना को शुरू किए जाने की तारीख से प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद बोर्ड ऐसी क्षेत्रीय योजना की संपूर्ण समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद उसके स्थान पर नई क्षेत्रीय योजना प्रस्तुत करेगा अथवा जैसा उचित समझे उसमें यथावश्यक संशोधन या परिवर्तन करेगा ।

15(2) जब अंतिम रूप से तैयार की गई पूर्व क्षेत्रीय योजना के स्थान पर नई क्षेत्रीय योजना लागू करने का प्रस्ताव हो अथवा जब अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में कोई संशोधन/परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो ऐसी नई योजना अथवा ऐसे संशोधन या परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, प्रकाशित किए जाएंगे और उनके मामले में वही कार्रवाई की जाएगी जो कि धारा 12 और 13 में संदर्भित क्षेत्रीय योजना अथवा धारा 14 के तहत क्षेत्रीय योजना में किए गए संशोधन अथवा परिवर्तनों के संबंध में की जानी अपेक्षित हो ।

1985 के अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत तहत नई क्षेत्रीय योजना तैयार किए जाने हेतु उक्त 1985 के अधिनियम की धारा 12 में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

12(1) किसी भी क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप देने से पहले, बोर्ड समिति की सहायता से एक मसौदा क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और जाँच हेतु इसकी एक प्रति उपलब्ध कराते हुए उसे प्रकाशित करेगा तथा यथानिर्धारित पद्धति से एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसके द्वारा, इस नोटिस में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व मसौदा क्षेत्रीय योजना के संबंध में आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

12(2) यह बोर्ड उस प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण जिसकी स्थानीय सीमा में क्षेत्रीय योजना के अधीनस्थ कोई भी भूमि स्थित है उसे मसौदा क्षेत्रीय योजना के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन देने का यथोचित अवसर प्रदान करेगा ।

12(3) बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, बोर्ड क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप

1.3 संघटक क्षेत्र

जैसा कि रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {खण्ड 2 (एफ)} तथा बाद में दिनांक 14.03.1986 की अधिसूचना में परिभाषित किया गया हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30,242 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है (मानचित्र 1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना-2001: संघटक क्षेत्र) । क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश दिल्ली तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं । प्रशासनिक ईकाइयां इस प्रकार है :

(क) संघ शासित प्रदेश दिल्ली ।

(ख) हरियाणा उप-क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक तथा सोनीपत जिले, महेन्द्रगढ़ जिले की रेवाड़ी तहसील, करनाल जिले की पानीपत तहसील शामिल है ।

(ग) राजस्थान उप-क्षेत्र जिसमें अलवर जिले की 6 तहसीलें नामतः अलवर, रामगढ़, बहरोर, मंडावर, किशनगढ़ तथा तिजारा शामिल हैं ।

(घ) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में तीन जिले नामतः मेरठ, गाजियाबाद और बुलन्दशहर शामिल हैं ।

(g) such other matters as may be included by the Board with the concurrence of the participating States and the Union Territory for the proper planning of the growth and balanced development of the National Capital Region.

Section 15 of the Act, 1985 gives directions regarding the review and how the revision is to be carried out which is as follows:

15(1) After every five years from the date of coming into operation of the finally prepared Regional Plan, the Board shall review such Regional Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Regional Plan or may make such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary.

15(2) Where it is proposed to substitute a fresh Regional Plan in place of the Regional Plan which was previously finally prepared or where it is proposed to make any modifications or alterations in the finally prepared Regional Plan, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Regional Plan referred to in sections 12 and 13 or as if they were the modifications or alterations in the Regional Plan made under section 14.

For the preparation of the fresh Regional Plan under Section 15(2) of the Act, 1985 the following procedure has been laid down in Section 12 of the Act, 1985:

12(1) Before preparing any Regional Plan finally, the Board shall prepare with the assistance of the Committee a Regional Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Regional Plan before such date as may be specified in the notice.

12(2) The Board shall also give reasonable opportunities to every local authority within whose local limits any land touched by the Regional Plan is situated, to make any representation with respect to the draft Regional Plan.

12(3) After considering all objections, suggestions and representations that may have been received by the Board, the Board shall finally prepare the Regional Plan.

1.3 CONSTITUENT AREAS

As defined in Schedule {Section 2 (f)} to the Act, 1985 and the subsequent notification dated 14.03.1986, the National Capital Region covers an area of 30,242 sq kms (Map 1.1 National Capital Region Regional Plan-2001: Constituent Areas). The region includes the Union Territory of Delhi and parts of the States of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. The Administrative units are as follows:

a) Union Territory of Delhi.

b) Haryana Sub-region comprising Faridabad, Gurgaon, Rohtak and Sonepat districts; Rewari tehsil of Mahendragarh district and Panipat tehsil of Karnal district.

c) Rajasthan Sub-region comprising six tehsils of Alwar district, namely, Alwar, Ramgarh, Behror, Mandawar, Kishangarh and Tijara.

d) Uttar Pradesh Sub-region comprising three districts namely, Meerut, Ghaziabad and Bulandshahr.

NATIONAL CAPITAL REGION
REGIONAL PLAN-2001: CONSTITUENT AREAS

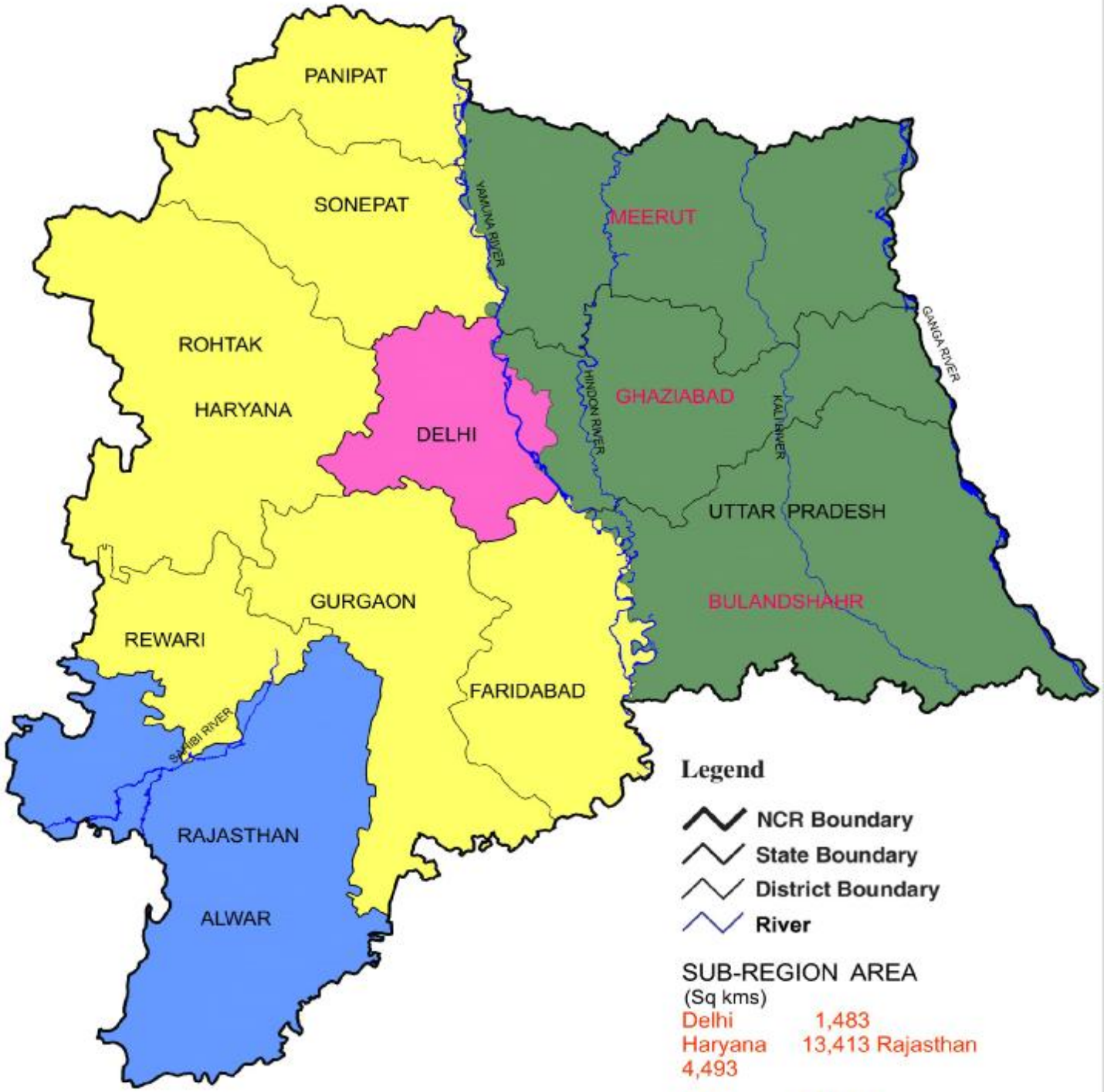

Legend

- NCR Boundary
- State Boundary
- District Boundary
- River

SUB-REGION AREA
(Sq kms)

Delhi	1,483		
Haryana	13,413	Rajasthan	4,493
U.P	10,853		
Total	30,242		

0 5 10 20 30 40 50 Kms

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
MAP 1.1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

क्षेत्रीय योजना – 2001 : संघटक क्षेत्र

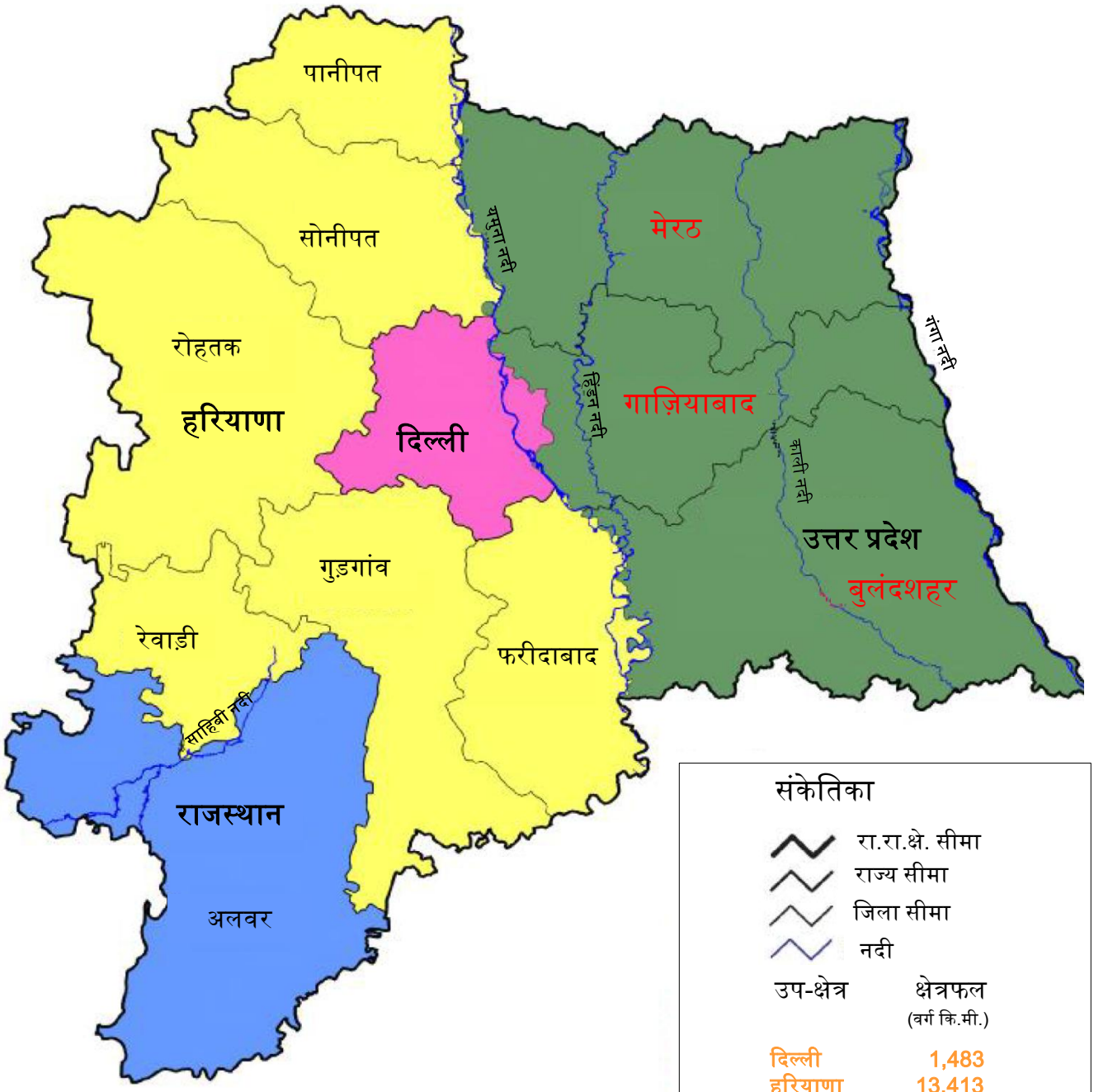

संकेतिका

- रा.रा.क्षे. सीमा
- राज्य सीमा
- जिला सीमा
- नदी

उप-क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
दिल्ली	1,483
हरियाणा	13,413
राजस्थान	4,493
उत्तर प्रदेश	10,853
कुल	30,242

0 5 10 20 30 40 50 (कि.मी.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

मानचित्र 1.1

बोर्ड ने 16.01.2004 को हुई अपनी 26वीं बैठक में अलवर जिले की शेष तहसीलों के अतिरिक्त क्षेत्रों को, इतनी सीमा तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की मंजूरी दी जितनी उसकी सीमा राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर जिले की सीमा से मिलती है, जिसे 23.08.2004 को अधिसूचित किया गया था । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 33,578 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान उप-क्षेत्र का क्षेत्रफल 4,493 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7,829 वर्ग किलोमीटर हो गया है ।

1.3.1 क्षेत्रीय योजना-2001

बोर्ड द्वारा नवम्बर 1988 में मंजूर क्षेत्रीय योजना-2001 में *"इस क्षेत्र का संतुलित एवं सुव्यवस्थित विकास करना ताकि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों एवं दिल्ली में आने वाले लोगों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसाया जा सके जिससे दिल्ली के विस्तार को नियंत्रण योग्य सीमा में रखा जा सके "* जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य का दृष्टांकन किया । योजना में यह भी प्रस्ताव किया गया कि *"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार के अतिनियंत्रित अवसर उपलब्ध किये जाएगें, दिल्ली से बाहर किन्तु दिल्ली महानगर क्षेत्र के अंदर संतुलित नियंत्रण रखा जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर किन्तु दिल्ली महानगर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान कर प्रोत्साहन दिया जाएगा "* ।

क्षेत्रीय योजना-2001 प्रमुखतः ग्रामीण पृष्ठभूमि में सुस्थिर शहरी विकास के लिए एक अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत करती है और आबादी (पुनर्वितरण), सेटलमेंट प्रणाली, क्षेत्रीय भूमि-उपयोग पैटर्न, पर्यावरणीय घटक, आर्थिक गतिविधियां और अवसंरचना सुविधाओं के परस्पर संबंधित नीतिगत ढांचे के जरिए उसके उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास करती है ।

1.3.2 योजना की कानूनी पुष्टि

क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन की तारीख से ही, संबंधित सहभागी राज्यों अर्थात् एन.सी.टी.-दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके कार्यान्वयन के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड) अधिनियम, 1985, के तहत विभिन्न योजना बनाये जाने से संबंधित प्रावधानों को देखते हुए क्षेत्रीय योजना को क्षेत्रीय विकास का एक प्रमुख साधन माना है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.03.1994 के अपने निर्णय में टिप्पणी की है किः

".... धारा 27 और अधिनियम के धारा 29 में दी गई अंतिम रूप में प्रकाशित क्षेत्रीय योजना के उल्लंघन में विकास की किसी भी गतिविधि पर पूर्ण निषेध के द्वारा अधिनियम के व्यापक प्रभाव से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित क्षेत्रीय योजना से भिन्न कोई भी दावा किसी भी आधार पर स्थाई नहीं हो सकता ।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.10.1996 के अपने निर्णय में आगे यह बताया है किः

"एक शर्त आवश्यक है कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्वीकृति नहीं देता तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है । इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी है कि उक्त योजनाओं के संदर्भ में प्रत्येक चरण में प्रत्येक घटक राज्य, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का भाग है, को संघीय अभिकरण, जो कि बोर्ड है, से बारीकी से परामर्श करना होगा ।"

1.3.3 उप-क्षेत्रीय योजनाएं

अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक भागीदार राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए एक उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करनी होगी । अधिनियम, 1985 की धारा 19 में उप-क्षेत्रीय योजना को बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं और धारा 20 में प्रत्येक भागीदार राज्य द्वारा उप-क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था दी गई है ।

बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना-2001 तैयार की गई और जनवरी 1989 में अधिसूचित की गई । संघटक राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे बोर्ड की मंजूरी के लिए अपनी संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाएं प्रस्तुत करेंगें ।

The Board in its 26th meeting held on 16.01.2004 approved the inclusion of additional areas comprising the remaining tehsils of Alwar district to NCR to the extent that its boundary coincided with the district boundary of Alwar in Rajasthan Sub-region, which was notified on 23.08.2004. Thus, the total area of NCR increased to 33,578 sq kms and the area of Rajasthan Sub-region increased from 4,493 sq kms to 7,829 sq kms.

1.3.1 Regional Plan-2001

The Regional Plan-2001, approved by the Board in November 1988, visualised the important goal of "*a balanced and harmoniously developed region, leading to dispersal of economic activities and immigrants to Delhi, thereby leading to a manageable Delhi"*. The Plan proposed "*a policy of strict control on creation of employment opportunities within the Union Territory of Delhi, moderate control in the Delhi Metropolitan Area and, encouragement with incentives, in the areas outside Delhi Metropolitan Area within the NCR"*.

Regional Plan-2001 provides a unique model for sustainable urban development within a predominantly rural setting and seeks to achieve its objectives through an inter-related policy framework relating to population (re-distribution), settlement systems, regional land use patterns, environmental factors, economic activities and infrastructural facilities.

1.3.2 Legal Affirmation of the Plan

Since the date of its enforcement, the Regional Plan has been taken up for implementation by the respective participating States namely, NCT-Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. It was during the course of its implementation that the Hon'ble Supreme Court and also the Allahabad High Court, while going through the relevant provisions under the NCRPB Act, 1985, considered the Regional Plan a major instrument of regional development.

The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 31.03.1994 observed:

" ....the overriding effect of the Act by virtue of Section 27 and total prohibition of any activity of development in violation of the finally published Regional Plan provided in Section 29 of the Act is sufficient to indicate that any claim inconsistent with the finally published Regional Plan in the area cannot be sustained on any ground."

The Allahabad High Court in its judgment dated 01.10.1996 further elaborated:

"one stipulation is inescapable that unless the National Capital Region Planning Board gives the green signal nothing can go ahead. The necessary implication of this is also that at every stage in reference to the plans, aforesaid, each Constituent State, a part of the National Capital Region plan, has to keep a close consultation with the federal agency which is the Board."

1.3.3 Sub-regional Plans

Under the provisions of Section 17(1) of the Act, 1985 each participating State is required to prepare a Sub-regional Plan for the Sub-region within the State. Section 19 of the Act, 1985 provides the directions for the submission of Sub-regional Plan to the Board for the approval and Section 20 provides for the implementation of Sub-regional Plans by each participating States.

Regional Plan-2001 was prepared by the Board and notified in January 1989. The constituent States were expected to submit their respective Sub-Regional Plans for approval of the Board.

उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान उप-क्षेत्रों की उप-क्षेत्रीय योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई थी और बोर्ड द्वारा क्रमशः जून 1992 तथा अप्रैल 1994 में मंजूर की गई थी ।

1.3.4 प्रकार्यात्मक योजनाएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 16 में भागीदार राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के उचित मार्गदर्शन के लिए योजना समिति की संरचना (अनुलग्नक 1/I का संदर्भ लें) की सहायता से बोर्ड द्वारा *`क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को विस्तृत रूप से योजना के रूप में उजागर करके प्रकार्यात्मक योजना तैयार करने की व्यवस्था की गई है`*। बोर्ड ने तदनुसार (i) परिवहन (नवम्बर 1995 में), (ii) विद्युत (अगस्त 1996 में), (iii) दूर संचार (मार्च 1997 में) और (iv) उद्योग (जून 1998 में) के लिए प्रकार्यात्मक योजना तैयार कर मंजूर की है ।

1.3.5 क्षेत्रीय योजना-2001 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985, में यह निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय योजना की समीक्षा नियमित अवधि पर की जाएगी । इस अनिवार्यता के अनुपालन में रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड ने समीक्षा करने के लिए एक स्टीयरिंग समिति गठित की और उसकी सिफारिशें बोर्ड द्वारा वर्ष 1999 में मंजूर की गई ।

समीक्षा रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है :

- विकास के लिए अंशों में तथा तदर्थ निर्णयों की पद्धति को समाप्त किया जाए ।
- योजना बनाये जाने से संबंधित विधान के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि प्रणालीबद्ध कार्यक्रम तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण को अनिवार्य बनाया जा सके जिसके बिना यथा संकल्पित समयावधि में कोई भी दीर्घकालिक योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती है ।
- एन.सी.टी.-दिल्ली के भीतर नए कार्यालयों, संबंधित संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों की स्थापना करना पूरी तरह बंद कर दिया जाए ।
- जिन कार्यालयों तथा संस्थानों की पहले ही पहचान कर ली गई है उन्हें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से बाहर महानगरीय क्षेत्र, प्रधानतः मेट्रो क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए ।
- कुछ चुने हुये थोक व्यापारों के लिए कार्यक्रम बनाने तथा कार्यक्रमानुसार उन्हें राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र के अभिनामित कस्बों तथा नगरों में पुनः स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है ।
- दिल्ली के भविष्य और इसे बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दिल्ली में कोई व्यापक निवेश, विशेषकर अल्पकालिक, न किया जाए जो इसके प्रति लोगों का आकर्षण और बढ़े ।
- तथापि जल आपूर्ति, बिजली, सफाई, जलप्लावन नियंत्रण और जल निकासी सहित शहरी अवसंरचना तथा सेवाओं में बढ़ते अंतर को दूर करने के लिए निवेश अपेक्षित है ।
- सांझा आर्थिक जोन (सीईजेड) के सिद्धान्त को प्रचालनात्मक बनाना तथा उसका कार्यान्वयन ।
- योजना बनाये जाने संबंधित विधानों अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में संशोधन तथा उपांतरण किया जाना अपेक्षित है ताकि इसे ज्यादा उत्तरदायी और बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।
- दिल्ली का भविष्य उसके मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के अनुक्रमिक विकास पर निर्भर करता है और आने वाले दशकों में काफी कुछ किया जाना बाकी है । दिल्ली के भविष्य के प्रति स्पष्ट निष्ठा विश्वास के साथ तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है अन्यथा देश की राजधानी सुव्यस्थित नहीं हो सकती है ।

Sub-regional Plans of Uttar Pradesh and Rajasthan Sub-regions were prepared by the respective State Governments and were approved by the Board in June 1992 and April 1994 respectively.

1.3.4 Functional Plans

Section 16 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 provides for the preparation of Functional Plan '*as a plan prepared to elaborate one or more elements of the Regional Plan'*, by the Board with the assistance of the Planning Committee (refer Annexure 1/I for the composition of the Planning Committee), for the proper guidance of the participating states and the Union Territory. The Board accordingly prepared and approved Functional Plans of: (i) Transport (in November 1995), (ii) Power (in August 1996), (iii) Telecommunications (in March 1997) and (iv) Industry (in June 1998).

1.3.5 Review of Regional Plan-2001

The NCRPB Act, 1985, stipulates that the Regional Plan shall be reviewed periodically. In compliance to this mandate, NCRPB constituted a Steering Committee to conduct the review exercise and its recommendations were approved by the Board in the year 1999.

Some of the major recommendations of the review report are as follows:

- The practice of piecemeal and ad hoc decisions for development should be stopped.
- Necessary modifications in the plan-enabling legislation should be made to mandate systematic programming and fixation of priorities without which no long-term plan can be implemented in the envisaged time frame.
- Location of new offices, allied institutions and offices of the public sector undertakings (PSUs) within NCT-Delhi should be completely stopped.
- Offices and institutes, which have already been identified, should be shifted out of the National Capital Territory of Delhi in the metropolitan area, preferably in the metro region.
- Programmes need to be prepared and a time-bound schedule made for the relocation of certain identified wholesale trades in a programmed manner in the designated towns and cities of the NCR.
- In the interest of the future and survival of Delhi, it is imperative that no massive investment, specially in short time, should be made in Delhi that is bound to further enhance its magnetism.
- Investments are nonetheless required to fill the increasing gaps in urban infrastructure and services including water supply, electricity, sanitation, flood control and drainage.
- Operationalisation and implementation of the principle of Common Economic Zone (CEZ)
- Amendments and modifications required to be made in the plan-enabling legislation, viz. DDA Act, 1957 and NCRPB Act, 1985 to make it more responsive and in tune with the changing realities.
- Future of Delhi lies in the sequential development of its metropolitan region and a lot remains to be accomplished in the coming decades. The steps have to be taken in right earnest with implicit faith in the future of Delhi, otherwise the nation's Capital cannot survive.

1.3.6 क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार करना

दिनांक 12.07.2000 को आयोजित बोर्ड की 25वीं बैठक के निर्णय के अनुक्रम में वर्ष 2021 की संभावनाओं के अनुरूप क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए दिनांक 18.01.2001 के का.ज्ञा.सं.के-14011/2001-डी.डी.आई.बी. के द्वारा केन्द्रीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय दल का गठन किया गया था । बाद में उच्च स्तरीय दल द्वारा आठ अध्ययन दल बनाए गए जिनमें विशेषज्ञ, गैर सरकारी व्यक्तियों तथा विभिन्न सरकारी अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया (अनुलग्नक 1/II का संदर्भ लें) । अध्ययन दल निम्नलिखित पहलुओं से संबधित थाः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति जोन, जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सेटलमेंट पैटर्न
(ख) क्षेत्रीय भूमि उपयोग और ग्रामीण विकास
(ग) परिवहन व संचार सहित भौतिक अवसंरचना
(घ) विद्युत, जल, मल-जल व्यवस्था, कचरा, जल-निकासी, सिंचाई आदि सहित उपयोगिता तथा सेवा अवसंरचना
(ड.) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, कानून व व्यवस्था आदि सहित सामाजिक अवसंरचना
(च) पर्यटन, धरोहर, प्रदूषण, आपदा प्रबंधन आदि सहित पर्यावरण
(छ) संस्थागत ढांचा
(ज) संसाधन संग्रह, वित्तपोषण आदि सहित आर्थिक तथा वित्त नीति

इन अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर चर्चा की गई और जनवरी 2002 में दो दिवसीय संगोष्ठी में इस पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें योजना समिति के सदस्य, उच्च स्तरीय दल, क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । अध्ययन दल के अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की ।

अध्ययन दल की सिफारिशों और संगोष्ठी में हुई चर्चा के आधार पर तथा क्षेत्रीय योजना के लिए कार्यनीति बनाने और बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया में चरणों (फेजिंग) तथा कार्य योजनाओं को शामिल किये जाने हेतु बनाने गये कार्यदल (अनुलग्नक 1/III का संदर्भ लें) की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय योजना बनाई गई । कार्यदल की सिफारिशों पर योजना समिति की 29 सितम्बर 2003 को हुई बैठक में चर्चा की गई । उक्त बैठक के सुझावों तथा लिए गए निर्णयों के आधार पर क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की गई ।

मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 को प्रकाशित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 के तहत उस पर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 16.01.2004 को आयोजित बोर्ड की 26वीं बैठक में विचार किया गया । बोर्ड ने घटक राज्यों के सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया । तदनुसार घटक राज्यों के सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई । घटक राज्यों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को बोर्ड की 28.10.2004 को हुई 27वीं बैठक में रखा गया । बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 के तहत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के मसौदे को मंजूरी दे दी । तदनुसार, मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 को 27.12.04 को प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य आम लोगों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और व्यक्तियों को योजना के विभिन्न पहलुओं पर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करना था (अनुलग्नक 1/IV का संदर्भ लें)। आपत्तियों/सुझावों की पूरी तरह से जाँच और उन पर विचार करने के बाद योजना समिति ने 05.05.2005 को हुई अपनी 53वीं बैठक में बोर्ड के विचारार्थ सिफारिशें प्रस्तुत की । बोर्ड ने 09.07.2005 को हुई अपनी 28वीं बैठक में योजना समिति की सिफारिश पर विचार किया और इन सिफारिशों को योजना में शामिल किये जाने को अपना अनुमोदन प्रदान किया और साथ ही रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 और रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड नियमों, 1985 के नियम 27 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रकाशन और अधिसूचना के लिए भी अपना अनुमोदन दिया (अनुलग्नक 1/V का संदर्भ लें) ।

1.3.6 Preparation of Regional Plan-2021

In pursuance of the decision of the 25th meeting of the Board held on 12.07.2000, a High Level Group was constituted vide O.M. No. K-14011/2001-DDIB dated 18.01.2001 under the chairmanship of the Union Minister for Urban Development and Poverty Alleviation for the preparation of the Regional Plan with the perspective year 2021. Subsequently, eight Study Groups were constituted by the High Level Group with experts, non-officials and senior officers from various government agencies as members (refer Annexure 1/II). The Study Groups were related to following aspects:

a) NCR Policy zones, demographic profile and settlement pattern
b) Regional land use and rural development
c) Physical infrastructure including transport and communications
d) Utility and service infrastructure including power, water, sewerage, solid waste, drainage, irrigation etc.
e) Social infrastructure including education, health, shelter, recreation, law and order etc.
f) Environment including tourism, heritage, pollution, disaster management etc.
g) Institutional Framework.
h) Economic and Fiscal Policy group including resource mobilization, funding etc.

These Study Groups submitted their reports, which were discussed and deliberated in a two-day seminar held in January 2002 in which members of the Planning Committee, High Level Group, representatives of the development authorities in the region, NGOs etc. attended. The Chairmen of the Study Groups presented their reports.

On the basis of the recommendations of the Study Groups and the discussions held in the seminar, Working Group (refer Annexure 1/III) was constituted to strategise the Regional Plan and to introduce phasing and action plans into the process of the Regional Plan-2021 for better implementation. The Working Group's recommendations were discussed in the Planning Committee meeting held on 29th September 2003. Based on the suggestions and decisions taken in the said meeting, the draft Regional Plan-2021 was prepared.

The draft Regional Plan-2021 was considered in the 26th meeting of the Board held on 16.01.2004 for publishing the same in order to invite objections/suggestions under Section 12 of the NCRPB Act, 1985. The Board directed to seek suggestions/comments of the constituent States. Accordingly, suggestions/comments from them were invited. The suggestions/comments received were examined and placed before the Board in its 27th meeting held on 28.10.2004. The Board approved the draft Regional Plan-2021 for inviting objections/suggestions under Section 12 of the NCRPB Act, 1985. Consequently, the draft Regional Plan-2021 was published on 27.12.2004 inviting objections/suggestions on various aspects of the Plan from the public, Central and State Governments and the local bodies (refer Annexure 1/IV). After thorough scrutiny and consideration of the objections/suggestions, the Planning Committee, in its 53rd meeting held on 05.05.2005, put forward its recommendations to the Board. The Board, in its 28th meeting held on 09.07.2005, discussed the recommendations and approved the incorporation of the recommendations in the Plan. It also approved the Regional Plan-2021 of NCR for publication and notification under Section 13 of the NCRPB Act, 1985 and Rule 27 of the NCRPB Rules, 1985 (refer Annexure 1/V).